

3375

हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the 22-07-2018

Order

**Sub :-** Diversion of 0.53 ha of forest land in favour of HP State Electricity Board for the construction of protection work for storage reservoir at Khuddar Uhl Stage-III Hydro Electric Project (100 MW), within the jurisdiction of Jogindernagar Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HPB/01/95/2016/447 dated 07-06-18 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.53 हेक्टेयर वन भूमि को HP State Electricity Board को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रयोक्ता ऐजेंसी से प्राप्त धनराशि से वन विभाग द्वारा 530 वृक्षों का रोपण एवम् 7-10 वर्षों तक रख-रखाव किया जाएगा।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैंरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 6 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 7 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
- 8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 9 प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान /पातन नहीं किया जाएगा।
- 10 The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required, as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986.
- 11 The User Agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.
- 12 The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the

Contd./2



dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per Plan.

- 13 The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, using four feet high RCC pillars, each pillar inscribed with the serial number, DGPS coordinates, forward and backward bearings and distance from pillar to pillar etc.
- 14 The User Agency and the State Forest Department shall ensure compliance to provisions of all Acts, Rules Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project.
- 15 The User agency shall submit the annual self compliance report on the conditions stipulated in the aproval to the State Forest Department and the concerned Regional Office of the MoEF&CC, GoI.
- 17 A lease- deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Mandi, H.P.
- 18 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Dated, Shimla-171001 the, 20-7-2018

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA)

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Mandi Distt., Mandi, Himachal Pradesh
6. DFO Jogindernagar Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. HP State Electricity Board, Kumar House Shimla
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 20-7-2018

Joint Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh

1741  
23/7/18



हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-6/2017

Dated Shimla-171002, the 22-07-2018

Order

Sub :-

Diversion of 0.15 ha of forest land in favour of I & PH for the construction of complaint cell-cum-store building at Khola Nallah (Hanog) G.P.Khola Nallah, Sub Tehsil Balichoki, within the jurisdiction of Nachan Forest Division Sundernagar, Distt. Mandi, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB670/2012-CHA/357 dated 23-05-18 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.15 ha हैक्टेयर वन भूमि को I & PH, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 3 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैंरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 5 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 6 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
- 7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 8 प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान / पातन नहीं किया जाएगा।
- 9 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 10 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी / प्राधिकरण से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।
- 11 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

*li*

Contd./2



उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-6/2017 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the, 20-7-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla w.r.t. her letter No. Ft.48-2527/2017(FCA) dated 15-06-2018 for information.
5. The Deputy Commissioner, Mandi Distt., Mandi, Himachal Pradesh
6. DFO Nachan Forest Division Sundernagar, Distt., Mandi H.P.
7. Ex-Engineer/ Asstt. Engineer, I & PH Department Sundernagar Distt. Mandi HP.
8. Guard File.

1742  
23/7/2018

(Sat Pal Dhiman) 20-7-2018  
Joint Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.